धारा 82 : कर का संपत्ति पर प्रथम प्रभार होना

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय किसी रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।